केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मनिरका
नई दिल्ली – 110067

संचिका सं.CICOM/R/2018/00138 दिनांक 06.02.2018

सेवा में,

श्री निरंजन लाल,

विषयः- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 29.01.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 02.02.2018 को डायराइज हुआ (डायरी सं. 107694) तथा दिनांक 05.02.2017 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, के संदर्भ में वांछित सूचना निम्नानुसार हैः-

बिंदु सं. 1	केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्य प्रणाली का विवरण हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाईट www.cic.gov.in एवं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो कि आयोग की वेबसाईट के लिंक http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf पर उपलब्ध है, का अवलोकन करें
बिंदु सं. 2	सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग में प्राप्त अपीलों/शिकायतों की सुनवाई हेतु अपीलों/शिकायतों का बंटवारा मुख्य सूचना आयुक्त की स्वीकृति से सूचना आयुक्तों के मध्य विभागवार किया जाता है । विशेष जानकारी के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाईट www.cic.gov.in के कॉलम Work Allocation-Chief IC/ICs का अवलोकन किया जा सकता है ।
बिंदु सं. 3	केन्द्रीय सूचना आयोग में प्राप्त अपीलों/शिकायतों की सुनवाई की तिथि निर्धारित होने पर संबंधित सूचना आयुक्तों की राजिस्ट्री द्वारा वादी एवं प्रतिवादी को सुनवाई नोटिस जारी किया जाता है एवं निर्धारित तिथि व समय पर सामान्यतः दोनों पक्षों (वादी एवं प्रतिवादी) की उपस्थिति में (विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से) सुनवाई की जाती है ।
बिंदु सं. 4	वर्तमान में दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत विभागों से संबंधित अपीलों की सुनवाई सूचना आयुक्त श्री यशोवर्द्धन आजाद द्वारा की जाती है ।
बिंदु सं. 5	द्वितीय अपीलों की सुनवाई हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष – 011-26172690